कुसुमी व अन्य बनाम शान्ति व अन्य

प्रार्थना पत्र / नजरसानी / 2020 / 01020

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी :– श्री एन0एस0 राजावत रेस्पो. अधि. : श्री अखिलेश शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-12-22	पत्रावली नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर निर्णायार्थ पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक श्री एन0 एस0 राजावत ने नजरसानी प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमती शान्ति देवी के हक मे नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 1715 व 1716 के बाबत पारित एकपक्षीय नियमन आदेश दिनांक 31.08.2001 पट्टा विलेख दिनांक 10.09.2001 के विरूद्ध अपील संख्या 04 / 2014 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानो एवं विधिक प्रकिया के विपरीत पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं लिखित बहस के विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 08.12.2016 पारित किये जाने से पत्रावली पर नजरसानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुर्नावलोकन किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2016 से व्यथित होकर नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा ना तो निर्णय सुनाये जाने की कोई पेशी नियत की गई है तथा पत्रावली सुरक्षित रखे जाने की दिनांक 08.12.2016 से निर्धारित 15 दिवस की अवधि मे ही निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1715 रकबा 01–15–10 की सम्पूर्ण भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.1987 से प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 से 05 के पिता श्री मुराद पुत्र अहमद द्वारा विक्रय किया जाना निर्णित कर अपील खारिज किये जाने का एक आधार बनाया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 के हक मे पारित नियमन आदेश एवं जारी पट्टा विलेख खसरा नम्बर 1716 के संबंध मे है। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित जाकर निर्णय पारित किया। माननीय न्यायालय द्वारा 90 बी की कार्यवाही हेतु स्थानीय अखबारो मे प्रकाशन करवाये जाने संबंधी विवेचन एवं विश्लेषण कर पारित किया है जबकि पत्रवली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के तहत अप्रार्थी संख्या 01 के हक मे नियमन की कार्यवाही किये जाते समय प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री मुराद पुत्र अहमद विवादित भूमि के रिकाडेड खातेदार रहे है। जिन्हे ना तो किसी प्रकार से कोई नोटिस प्रेषित किया गया तथा ना ही अखबार मे प्रकाशन किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपील संख्या 04 / 2014 पर दोनो पक्षो को पुनः सुना जाकर नवीन रूप से निर्णय पारित करने का निवेदन किया है। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner

कुसुमी व अन्य बनाम शान्ति व अन्य

प्रार्थना पत्र/नजरसानी /2020/01020

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपी :– श्री एन0एस0 राजावत रेसपो. अधि. : श्री अखिलेश शर्मा	

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता श्री अखिलेश शर्मा ने बहस के दौरान निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं होने से नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–12–2016 विधि संगत होने से उसके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित किया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर ही दोनों पक्षों की सुनवाई कर पत्रावली पर अप्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार आवेदनकर्तागण की अपील निरस्त की गई। जबकि अपीलार्थी के द्वारा अपील में लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है जिसके उपरांत ही माननीय न्यायालय के द्वारा अपील पर निर्णय पारित किया गया जो कि विधि संगत है, इस प्रकार नजरसानी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे निम्न नजीरे प्रस्तुत की है:–

(1) आरआरटी 2021 (1) पेज 01 (एससी), (2) आरआरटी 2009 पेज 330 (आरएचसी) (3) आरआरटी 2022 (2) पेज 1348 (4) आरआरटी 2022 (2) पेज 1107 (5) आरआरटी 2021 (1) पेज 676 (6) आरबीजे 2018 पेज 591 (7) आरबीजे 2000 पेज 268 (8) आरबीजे 2003 पेज 366

मैंने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की सुनी गई बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1715 व 1716 की भूमि को खातेदार हाबल पुत्र आम्बा जाति चीता द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 23–9–1986 द्वारा "दी जयनगर हाऊसिंग सोसायटी, अजमेर" को विक्रय की गई तथा अपीलांट संख्या 01 श्रीमती कुसुमी के पति मुराद एवं अपीलांट संख्या 2 से 5 के पिता मुराद पुत्र अहमद द्वारा खसरा नबर 1715 रकबा 1–15–10 की सम्पूर्ण भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31–3–1987 को सचिव, दी जयनगर कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. के पक्ष में दिनांक 11–6–1987 को पंजीबद्ध करवाई गई। उक्त विवादित भूखण्ड 266.66 वर्गगज का शक्तिदान पुत्र चालकदान के पक्ष में वर्ष 1987 में जारी किया

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपी :– श्री एन0एस0 राजावत रेस्पो. अधि. : श्री अखिलेश शर्मा	

गया। उक्त आवंटन पत्र के आधार पर शक्तिदान द्वारा उक्त भूखण्ड श्रीमती शांतिदेवी रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया।

इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 में कोई त्रुटि "Error apparent on the face of record" जाहिर नही है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। यथोचित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित किया गया जो उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स की यह नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2016 अन्तर्गत अपील संख्या 04/2014/90–बी/अजमेर बउनवान श्रीमती कुसुमी व अन्य बनाम श्रीमती शान्ति देवी व अन्य यथावत कायम रखा जाता है। नजरसानी प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner